पत्र सख्या–6/याजना–01–09/2015 गृ0आ0...................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

विषयः– **VVIP/VIP सुरक्षा हेतु एक अदद Vehicle Mounted Jammer के क्रय के लिए ₹ 1,19,43,134 (एक करोड़ उनीस लाख तैंतालीस हजार एक सौ चौतीस रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति देने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–781/आपूर्ति, दिनांक–22.07.2016 के संबंध में कहना है कि VVIP/VIP सुरक्षा हेतु एक अदद Vehicle Mounted Jammer के क्रय के लिए गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–5304, दिनांक–12.07.2016 द्वारा कुल ₹ 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त विमुक्त राशि में से ₹ 1,19,43,134 (एक करोड़ उनीस लाख तैंतालीस हजार एक सौ चौतीस रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 में निहित प्रावधान एवं शर्त्तों के आलोक में उक्त राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त अग्रिम निकासी की राशि ₹ 1,19,43,134 (एक करोड़ उनीस लाख तैंतालीस हजार एक सौ चौतीस रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष "2055–पुलिस, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु" विपत्र कोड P2055001150102 एवं राज्य योजना स्कीम कोड– HOM–5416 तथा विषयशीर्ष–52 01–मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–09/2015 गृ0आ0 6708 / पटना, दिनांक 26 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08/16

सरकार के अवर सचिव